सं.फा.3(8)/2010-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संसद भवन,
नई दिल्ली-110001

तारीख: 26 मई, 2010

आदेश

केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 14(2) के उपबंधों के अनुसरण में, संसदीय कार्य मंत्रालय की महिला कर्मचारियों की लिंग विनिर्दिष्ट शिकायतों को निपटाने के लिए एक शिकायत समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है। शिकायत समिति का संघटन निम्न प्रकार होगा:-

1.	श्रीमती सुमन बारा, अवर सचिव	-	अध्यक्ष
2.	श्री आर.सी. महान्ति, अवर सचिव	-	सदस्य
3.	श्रीमती जेसी जयचन्द्रन, निजी सचिव	-	सदस्य
4.	श्रीमती पदमा राठी, अनुभाग अधिकारी	-	सदस्य
5.	श्री ए.बी. आचार्य, अनुभाग अधिकारी	-	सदस्य
6.	सोशल रिसर्च (गैर सरकारी संस्था), नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि	-	सदस्य

समिति सरकार के समय-समय पर यथा संशोधित वर्तमान अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के उपबंधों के अनुसार बैठक करेगी और कार्य करेगी।

यह सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(यू.एस. चट्टोपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं.23034899

प्रतिलिपि:

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण।
2. डॉ. रंजना कुमारी, निदेशक, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च को इस अनुरोध के साथ कि सेंटर फॉर सोशल रिसर्च से एक प्रतिनिधि उपरोक्त समिति पर सदस्य के रूप में नामित करने की कृपा करें तथा उसका विस्तृत पता इत्यादि भेजें।
3. मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।
4. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (श्री पी. प्रभाकरन, उप सचिव), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके का.ज्ञा. सं.11013/3/2009-स्थापना(ए) दिनांक 29.4.2010 के संदर्भ में।
5. श्री एस.के. सिन्हा, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. को इस अनुरोध के साथ कि सूचना को मंत्रालय की वेबसाइट पर (“अधिसूचनाएं” शीर्ष, “समिति” उप शीर्ष के अंतर्गत) अपलोड किया जाए।